मोहन सिंह बनाम [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज [illegible] - 81/2023
20.07.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। शेष प्रतिवादी संख्या 6 के सम्मन तामील होकर लौटे है। जो पर्याप्त है। बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दिनांक 03.08.2023 को पेश हों। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी,श्रीमाधोपुर(सीकर)
03-08-23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र में अन्तर्गत वादी महेन्द्रसिंह पुत्र मोहन व साक्ष्य गवाह में रमेशचन्द पुत्र मोहन के शपथ पत्र पेश किए। दस्तावेज प्रदर्शित किए गए। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 17-8-23 को पेश हो। दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
17.08.2023	पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामि[illegible] निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] तामील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय [illegible] सुनाया गया। 17/08/23 (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) दिलीप सिंह उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह **(RAS)**

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनाक
89/2023	2023/685	22.06.2023	17.08.2023

उनवान प्रकरण

1. महेन्द्रसिंह पुत्र मोहन आयु 72 साल जाति जाट निवासी ढाणी डांगिया का बास ग्राम पंचायत सुजाना तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान

—वादी—

बनाम

1. जयप्रकाश आयु 40 साल
2. आशीष आयु 33 साल

   पुत्रगण देशराज

3. दुर्गा देवी पत्नी देशराज आयु 75 साल
4. रामगोपाल उर्फ गोपालसिंह पुत्र मोहनलाल आयु 80 साल
5. रमेशचन्द्र पुत्र मोहन आयु 62 साल

   जाति जाट निवासी ढाणी डांगिया का बास ग्राम पंचायत सुजाना तहसील खण्डेला जिला सीकर राज0

6. ...धारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री भंवर सिंह चौधरी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री प्रकाश चन्द मुण्ड, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 अभिभाषक।

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दावा बाबत ईस्तकरार हक, बटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88, 53, 188 आर.टी.एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.7900 हैक्टर तन ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित है। जिसकी खातेदारी मृतक मोहनसिंह पुत्र बक्शाराम के नाम दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 35, 36 कुल किता–3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टर तन ग्राम चक जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 मे अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–1 ता 3 के पिता–पति मृतक देशराज पुत्र मोहनलाल एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–4 के नाम दर्ज है। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 आपस मे एक ही परिवार खानदान से हैं। उक्त कृषि भूमिया एवं अन्य कृषि भूमिया जो ग्राम हमीरपुरा कला एवं ग्राम डागियों का बास तहसील खण्डेला में स्थित है। पक्षकारान की पैत्रिक कृषि भूमिया है। जिनका पक्षकारान ने काश्त की सुविधा के अनुसार आपसी बटवारा पारिवारिक सैटिलमेन्ट कर रखा है। जिसके अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.7900

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हैक्टर तन ग्राम चक जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 की खातेदारी वादी के पिता मृतक मोहनसिंह पुत्र बक्शाराम के नाम दर्ज है। वह वादी अकेले के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त में आयी हुयी है। जिस पर वादी अकेला काबिज काश्त चला आ रहा है एव कृषि भूमि वर्णित खसरा नम्बर 34, 35, 36 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टर तन ग्राम चक जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 के 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक देशराज पुत्र मोहनलाल एवं 1/2 हिस्सा की खातेदारी प्रतिवादी संख्या–4 के नाम दर्ज है। वह अकेले वादी के हक हिस्सा एव कब्जा काश्त मे आयी हुयी हैं। जिस पर अकेला वादी काबिज काश्त चला आ रहा है। इसलिए वादी उक्त भूमियों की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को वादी की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो आश्वासन देते रहे परन्तु दिनांक 10.06.2023 को इन्कार हो गये एव वादी के कब्जा काश्त मे मजाहमत करने की धमकी दी जाने पर वाद कारण पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण के निम्न रूपेण डिक्री फरमाया जावें कि तन ग्राम चक जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.7900 हैक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

से मृतक मोहनसिंह पुत्र बक्शाराम का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 35, 36 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृतक देशराज पुत्र मोहनलाल एव प्रतिवादी संख्या–4 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने का निवेदन अपने वादपत्र मे किया है।

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। प्रकरण मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के मध्य आपस मे राजीनामा हो जाने से राजीनामा पेश कर तस्दीक कराया गया। प्रतिवादी संख्या 6 की तामील असालतन होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। प्रकरण मे पक्षकारान् के मध्य आपस मे राजीनामा हो जाने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को सीधे ही शहादत मे लिया गया। वादी साक्ष्य में वादी महेन्द्र सिंह पुत्र मोहन का एंव वादी साक्ष्य गवाह में रमेशचन्द्र पुत्र मोहन जाति जाट के मुख्य परीक्षण मे लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही [illegible] वादी व प्रतिवादीगण [illegible] 1 से 5 के मध्य आपस मे [illegible] वादपत्र मे वहस [illegible] जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

17/08/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रतिवादीगण ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निस्तारण बजरिए राजीनामा किये जाने मे कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण मे पक्षकारान् के मध्य आपस मे राजीनामा हो जाने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष मे राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से प्रकरण मे सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एव राजस्व रिकॉर्ड अतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 की जमाबन्दी, वादी व प्रतिवादीगण के मध्य आपस मे हुए राजीनामा, साक्ष्य वादी में पेश शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों मे से कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.7900 हैक्टर की खातेदारी वादी के मृत्तक पिता मोहनसिंह पुत्र बक्सासम के व कृषि भूमि खसरा नम्बर 34 से 36 की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृत्ताक देशराज पुत्र मोहनलाल व प्रतिवादी सख्या 4 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान की पैत्रक कृषि भूमि होना वर्णित किया है। पैत्रक कृषि भूमियो के [illegible] रिकार्ड जमाबन्दीयॉ इत्यादि प्रस्तुत नही की गई है। वादी ने अपने वाद पत्र मे अन्य कृषि भूमियॉ ग्राम [illegible]पुरा कला एव ग्राम डामियो का बास तहसील खण्डेला मे स्थित होना तथा उसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

12/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (नीमकाथाना)

बाबत इस वाद में अंकित प्रतिवादीगण के द्वारा वादपत्र दावा न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट्रैक) खण्डेला में प्रस्तुत किया जाना अंकित किया है। जिसके प्रमाणीकरण हेतु उक्त न्यायालय के मुकदमा संख्या 769/2023 उनवानी प्रकरण गोपालसिंह वगै0 बनाम महेन्द्र वगै0 के वादपत्र की केवल मात्र फोटोप्रति पेश की गई है। जिसमें अन्य प्रतिवादीगण के द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 5 रमेशचन्द्र से अन्य खसरा नम्बरान् में दर्ज कृषि भूमियों का दावा बाबत ईस्तकरार हक, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया जाना प्रकट होता है। उक्त वादपत्र में अंकित भूमियों से सम्बन्धित जमाबन्दीयों की प्रतियाँ पेश नहीं किया जाना प्रकट होती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादी के पक्ष में हाजिर अदालत होकर राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जाने तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अपने राजीनामा में अंकित किया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने से एवं अन्य शेष प्रतिवादी संख्या 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से वादपत्र में तनकीवाईज निर्णय नहीं किया जाकर बरूए राजीनामा सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। जिसके आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत [illegible] को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता

[illegible] को स्वीकार किया जाकर [illegible]

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिं[illegible])
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत ईस्तकरार हक बटवारा एव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि [illegible] ग्राम चक जसवन्तपुरा पटवार हल्का कल्याणपुरा भू. अभिलेख निरीक्षक [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 27 रकबा 0.7900 हैक्टर से मृतक मोहनसिंह पुत्र बक्शाराम का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 35, 36 कुल किता 3 कुल रकबा 2.3200 हैक्टर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता–पति मृत्तक देशराज पुत्र मोहनलाल एवं प्रतिवादी संख्या 4 का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर अकेले वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमि की खातेदारी वादी के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जानें की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वे वादी के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवचना की जाँच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.10.25 15:08:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 17/08/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)